न्यायालयः – अनुमण्डल दण्डाधिकारी, गढ़वा।

नोटिस–विविध वाद संख्या– 03 /2025 धारा–163 बी0एन0एस0एस0

01–सरस्वती देवी पति कृष्णा राम, ग्राम छपरवार कलां, थाना मेराल, जिला गढ़वा————————————————————————प्रथम पक्ष

बनाम

01– शिवपुजन राम पिता स्व0 रामधन कहांर, 02. अखिलेश कुमार पिता शिवपुजन राम, ग्राम छपरवार कलां, थाना मेराल, जिला गढ़वा ————————————द्वितीय पक्ष

आवेदक (प्रथम पक्ष) सरस्वती देवी पति कृष्णा राम, ग्राम छपरवार कलां, थाना मेराल, जिला गढ़वा के द्वारा कागजात के साथ दाखिल आवेदन पत्र के आलोक में अंचल अधिकारी, मेराल के प्राप्त प्रतिवेदन पर उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क से मैं संतुष्ट हुँ कि निम्नांकित में भूमि निर्माण कार्य करने को लेकर दोनों पक्षकारों से शांति भंग होने की गंभीर आशंका मेरे क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न हो गई है।

अतः निम्नांकित विवादित भूमि पर दोनों पक्षों के विरूद्ध धारा–163 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। दोनो पक्षकारों को आदेश दिया जाता है, कि इस वाद के निष्पादन तक नीचे वर्णित विवादित भूमि के निकट जाने से निषेधित किया जाता है। साथ ही दोनो पक्षों को सूचित किया जाता है, कि दिनांक 04/02/2025........ को उपस्थित होकर कारण पृच्छा दाखिल करें कि प्रारंभिक निषेधाज्ञा आदेश उनके विरुद्ध क्यों नहीं अत्यांतिक किया जाय।

आज दिनांक 22/01/2025............ को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुहर से जारी किया गया।

22/1/2025

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
गढ़वा।

विवादित भूमि का विवरण

ग्राम	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा	चौहदी
ग्राम–छपरवार कलां, थाना–मेराल, जिला–गढ़वा।	19	278	0.17 ए0	उ0–नरेश चन्दंवशी, द0–आवेदक का घर, पू0–रोड़, प0–सुखी चन्द्रवंशी।

थाना प्रभारी, मेराल।

उभय पक्षों को नोटिस तामिल कर तामिला प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.03.24 16:51:24 +05:30
Location: 192.168.1.9